प्रस्ताव

35 मानव तस्करी। दंड। पहल अधिनियम।

आधिकारिक शीर्षक एवं साराँश **अटॉर्नी जनरल द्वारा तैयार**

मानव तस्करी। दंड। पहल अधिनियम।

- मानव तस्करी के लिए 15 वर्ष से उम्र कैद और $1,500,000 तक के जुर्माने सहित, बढ़े हुए अपराधिक दंड।
- इक्ट्ठे किए गए जुर्माने को पीड़ितों के लिए सेवा और कानून प्रवर्तन के लिए इस्तेमाल किया जाए।
- तस्करी के लिए दोषसिद्ध किए गए व्यक्तियों से यौन अपराधियों के रूप में पंजीकृत करने की मांग करता है।
- यौन अपराधियों से इंटरनेट तक पहुँच और उनके द्वारा ऑनलाइन इस्तेमाल की गई पहचानों के बारे में जानकारी देने की मांग करता है।
- अदालत की कार्यवाहियों में पीड़ित द्वारा यौन व्यवहार में शामिल होने के सबूत को पीड़ित के विरुद्ध इस्तेमाल किए जाने से रोकता है।
- पुलिस अधिकारियों के लिए मानव तस्करी प्रशिक्षण की मांग करता है।

राज्य और स्थानीय सरकार पर राजस्व संबंधी शुद्ध प्रभाव के बारे में वैधानिक विश्लेषक के अनुमान का सारांश:

- मानव तस्करी के अपराधियों के अभियोजन और कैद से संबंधित अपराधिक न्याय गतिविधियों के लिए राज्य और स्थानीय सरकारों के लिए बढ़े हुए खर्चे, जिनके वार्षिक तौर पर कुछ मिलियन डॉलर से बढ़ने की संभावना नहीं है।
- मानव तस्करी से संबंधित कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए नई अनिवार्य प्रशिक्षण आवश्यकताओं के कारण, राज्यव्यापी आधार पर कुछ मिलियन डॉलर के संभावित एक बार होने वाले स्थानीय सरकार के खर्चे, और प्रत्येक वर्ष होने वाले कम राशि के अतिरिक्त खर्चे।
- नए आपराधिक जुर्मानों से संभावित अतिरिक्त राजस्व, जिसके वार्षिक तौर पर कुछ मिलियन तक होने की संभावना है, जिससे मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए सेवाओं के लिए और मानव तस्करी से संबंधित कानून प्रवर्तन गतिविधियों के लिए धन मिलेगा।

35

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

पृष्ठभूमि

संघीय कानून। संघीय कानून में मानव तस्करी पर रोक लगाने के विभिन्न प्रावधान निहित हैं। संघीय तस्करी पीड़ित संरक्षण अधिनियम आमतौर पर मानव तस्करी के दो प्रकार परिभाषित करता है:

- ***यौन तस्करी***—जिसमें लोगों को भर्ती किया जाता है, भेजा जाता है या बल या धोखाधड़ी से प्रेरित होकर व्यावसायिक यौनाचार के लिए प्राप्त किया जाता है या जो पीड़ित यह कार्य कर रहा है उसकी उम्र 18 साल से कम है। यौन तस्करी का एक उदाहरण एक व्यक्ति को मजबूरन वेश्यावृत्ति में ढकेलना है।
- ***श्रम तस्करी***—जिसमें लोगों को भर्ती किया जाता है, भेजा जाता है या बल या धोखाधड़ी से प्रेरित होकर श्रम या अन्य सेवाऐं प्राप्त की जाती है। इस का एक उदाहरण किसी विदेशी नागरिक को निर्वासन की धमकी दे कर मजबूरन मुफ्त में काम कराना है।

ये कानून संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लागू कराये जाते हैं, जो या तो स्वतंत्र रूप से या राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिल कर कार्य करती हैं।

राज्य कानून। मौजूदा राज्य कानून में मानव तस्करी के खिलाफ इसी तरह के आपराधिक प्रतिबंध शामिल हैं। विशेष रूप से, राज्य कानून मानव तस्करी को एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले के रूप में परिभाषित करता है जिसका मंतव्य या तो (1) कुछ बड़े अपराध (जैसे वेश्यावृत्ति) करना है या (2) बेगार या जबरदस्ती सेवाऐं प्राप्त करना है। मानव तस्करी राज्य कानून के तहत पांच साल तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय है, या यदि पीड़ित की उम्र 18 साल से कम हो तो आठ साल के लिए राज्य जेल की सजा के साथ। जिन अपराधियों को मानव तस्करी का दोषी पाया गया हो जिसके परिणामस्वरुप पीड़ित को गहरी शारीरिक चोटें आई हों, उन्हें अतिरिक्त शर्तों के साथ छह साल के लिए दंडित किया जा सकता है। हाल के वर्षों में, मानव तस्करी के अपराधों के लिए कुछ ही लोगों को सालाना तौर पर राज्य जेल में भेजा गया है। मार्च 2012 तक, राज्ट की जेलों में ऐसे 18 अपराधी थे।

मौजूदा राज्य कानून के तहत, ज्यादातर अपराधी जिन्हें किसी यौन अपराध का दोषी ठहराया गया है (मानव तस्करी से जुड़े कुछ अपराधों सहित), उनके लिए अपने स्थानीय पुलिस या शेरिफ विभागों के साथ यौन अपराधियों के रूप में रजिस्टर करना आवश्यक है।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

प्रस्ताव

यह उपाय मानव तस्करी से संबंधित राज्य के कानून में कई परिवर्तन करता है। विशेष रूप से, यह (1) मानव तस्करी की परिभाषा का विस्तार करता है, (2) मानव तस्करी के अपराधों के लिए सजा बढ़ाता है, (3) मानव तस्करी के पीड़ित लोगों की सेवा-निधि के लिए नए जुर्माने लगाता है, (4) इस प्रक्रिया में बदलाव लाता है कि मानव तस्करी के पीड़ित लोगों के खिलाफ सबूतों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और (5) मानव तस्करी के मामलों से निपटने के लिए अतिरिक्त कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण की आवश्यकता व्यक्त करता है। यह उपाय यौन अपराधी के रुप में रजिस्टर करने वालों पर अतिरिक्त आवश्यकताऐं भी लगाता है।

मानव तस्करी की विस्तारित परिभाषा। यह उपाय राज्य कानून के तहत मानव तस्करी की परिभाषा में बदलाव करता है। विशेष रूप से, यह उपाय उस अश्लील सामग्री के निर्माण और वितरण, जिससे नाबालिगों का चित्रण मानव तस्करी के रूप में होता है, से संबंधित अपराधों को परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए, अपराधी का दर्शाये गए नाबालिग के साथ कोई संपर्क न होते हुए भी अश्लील सामग्री की नकल करना या बेचना मानव तस्करी माना जाएगा। इसके अलावा, नाबालिगों को शामिल करने वाले सेक्स के अवैध व्यापार से जुड़े मामलों के संबंध में अभियोजन पक्ष को यह दिखाने की जरुरत नहीं है कि बल या बलात्कार हुआ था। (इससे राज्य कानून संघीय कानून के समान हो जाएगा।)

मानव तस्करी के लिए और गंभीर आपराधिक दंड। यह उपाय मानव तस्करी के लिए राज्य कानून के तहत वर्तमान आपराधिक दंड को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, यह उपाय श्रम तस्करी अपराधों के लिए जेल की सजा को 12 साल की अधिकतम अवधि तक बढ़ा देता है, और वयस्कों की यौन तस्करी के लिए प्रति अपराध 20 साल तक के लिए। बल या धोखाधड़ी को शामिल करते हुए नाबालिगों की यौन तस्करी आजीवन कारावास से दंडित होगी। चित्र 1 उपाय द्वारा प्रत्येक जेल की सजा में अधिकतम बढ़ोत्तरी, सजा संवर्द्धन, और आपराधिक जुर्माने को सूचीबद्ध करता है।

इसके अलावा, उपाय निर्दिष्ट करता है कि मानव तस्करी के लिए सजायाफ्ता अपराधी, जो पहले से ही मानव तस्करी के मामले में अपराधी घोषित हैं, उन्हें पूर्व की प्रत्येक अपराध घोषणा के अतिरिक्त पांच साल की कैद प्राप्त होगी। इस उपाय के तहत, मानव तस्करी के मामले में सजायाफ्ता अपराधी को, जिनके कारण पीड़ित गहन शारीरिक चोट का पीड़ित होते हैं, दस साल की अतिरिक्त अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है। यह उपाय आपराधिक अदालतों को मानव तस्करी के अपराधों के लिए $1.5 मिलियन का जुर्माना लगाने की अनुमति भी देता है।

चित्र 1

उपाय मानव तस्करी के लिए अधिकतम आपराधिक दंड को बढ़ाता है

	वर्तमान कानून	प्रस्ताव 35
कारावास दंड[a]		
श्रम तस्करी	5 वर्ष	12 वर्ष
बलपूर्वक वयस्क यौन तस्करी	5 वर्ष	20 वर्ष
बल के बिना नाबालिग का यौन व्यापार	कोई नहीं[b]	12 वर्ष
नाबालिग के साथ बलपूर्वक यौन तस्करी	8 वर्ष	आजीवन
सजा में बढ़ोतरी[a]		
गहन शारीरिक चोट	6 वर्ष	10 वर्ष
पूर्व मानव तस्करी का अपराध	कोई नहीं	पूर्व अपराध घोषणा के लिए 5 साल
जुर्माने	नाबालिग की यौन तस्करी के लिए $100,000 तक	सभी मानव तस्करी अपराधों के लिए $1.5 मिलियन तक

[a] वास्तविक दंड में वर्षों की श्रृंखला शामिल है।

[b] इस उपाय के तहत बिना बल के नाबालिगों की यौन तस्करी के रूप में मानी गई गतिविधियाँ वर्तमान कानून के तहत अवैध मानी जाती हैं परंतु उनको मानव तस्करी के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता है। इन अपराधों के लिए दंडों में परिवर्तन हो सकता है।

प्रस्ताव 35 के पाठ के लिए, पृष्ठ 100 देखें।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए कार्यक्रम। उपाय की आवश्यकता है कि उपर्युक्त जुर्माने से एकत्र की गई धनराशि मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए सेवाओं का समर्थन करे। विशेष रूप से, धन का 70 प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक एजेंसियों को और गैर-मुनाफा संगठनों को आवंटित किया जाएगा, जो पीड़ितों के लिए इस तरह की प्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करते हैं। उपाय की आवश्यकता है कि शेष 30 प्रतिशत को उस अधिकार क्षेत्र में कानून प्रवर्तन और अभियोजन पक्ष एजेंसियों को प्रदान किया जाए जहां आरोप दर्ज किए गए थे और मानव तस्करी की रोकथाम, गवाह संरक्षण, और बचाव कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाए।एकत्र और जमा किए गए जुर्माने का तीस प्रतिशत मानव तस्करी की रोकथाम, गवाहों की सुरक्षा और बचाव कार्य को धन देने के लिए उस अधिकार क्षेत्र के कानून प्रवर्तन और अभियोजन एजेंसियों को दिया जाएगा जहाँ आरोप लगाए गए थे।

अदालत की कार्यवाही को प्रभावित करने वाले परिवर्तन। उपाय आपराधिक मानव तस्करी के आरोप से जुड़े मामलों की सुनवाई को भी प्रभावित करता है। विशेष रूप से, यह उपाय उस व्यक्ति पर उस अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए किसी व्यक्ति के आपराधिक यौन आचरण (जैसे कि वेश्यावृत्ति) में लिप्त होने के सबूत पर प्रतिबंध लगाता है जो व्यक्ति के मानव तस्करी के पीड़ित होने का परिणाम था। यह उपाय अदालत में पीड़ित की विश्वसनीयता या चरित्र पर हमला करने के प्रयोजनों के लिए मानव तस्करी के पीड़ित द्वारा यौन आचरण के साक्ष्य को भी अग्राह्य बनाता है। इसके अलावा, यह उपाय नाबालिगों से जुड़े मानव तस्करी के कई मामलों की अनुमति नहीं देता है। उदाहरण के लिए, एक प्रतिवादी अपनी रक्षा में नाबालिग की उम्र के बारे में पता न होने का दावा नहीं कर सकता।

कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण। इस उपाय की आवश्यकता है कि पुलिस और शेरिफ विभाग और कैलिफोर्निया राजमार्ग गश्ती (CHP) द्वारा नियोजित सभी शांति पुलिस अधिकारियों को, जो क्षेत्रीय या जांच का काम करते हैं, कम से कम दो घंटे के प्रशिक्षण से गुजरने की आवश्यकता है कि मानव अवैध व्यापार की शिकायतों को कैसे संभाला जाए। यह प्रशिक्षण 1 जुलाई 2014 तक या क्षेत्रीय या जांच का काम सौंपे गए अधिकारी के छह महीने के भीतर पूरा करना होगा।

जारी

यौन अपराधी पंजीकरण के लिए विस्तारित आवश्यकताएँ। यह उपाय पंजीकृत यौन अपराधियों द्वारा अपने इंटरनेट प्रदाताओं और पहचानकर्ताओं के नाम स्थानीय पुलिस या शेरिफ विभागों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता की माँग करता है। इन पहचानकर्ताओं में ई-मेल पते, उपयोगकर्ता नाम, स्क्रीन नाम, या इंटरनेट संचार एवं गतिविधि के लिए अन्य व्यक्तिगत पहचानकर्ता शामिल हैं। यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति अपने इंटरनेट खाते में परिवर्तन करता है या किसी इंटरनेट पहचानकर्ता को बदलता या जोड़ता है, तो व्यक्ति को इस तरह के परिवर्तन की सूचना 24 घंटे के भीतर कानून प्रवर्तन को देनी होगी।

वित्तीय प्रभाव

वर्तमान में, मानव तस्करी के मामलों पर कैलिफोर्निया राज्य के कानून के बजाय अक्सर संघीय कानून के तहत मुकदमा चलाया जाता है, जबकि कैलिफोर्निया की कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ मामले की जांच में शामिल रहती हैं। ऐसा आँशिक रूप से इसलिये है क्योंकि इन अपराधों में अक्सर कई प्रकार के न्यायालय शामिल होते हैं और ऐसे मामलों में संघीय सरकार की ऐतिहासिक प्रमुख भूमिका के कारण भी। यह अज्ञात है कि इस उपाय में प्रस्तावित मानव तस्करी और अन्य परिवर्तनों की विस्तारित परिभाषा से राज्य में मानव तस्करी गिरफ्तारी और अपराधी घोषणा की संख्या में वृद्धि होगी या ऐसे अधिकांश मामले मुख्य रूप से संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों के द्वारा नियंत्रित किये जाते रहेंगे। इसके परिणामस्वरूप, इस उपाय के नीचे चर्चित राज्य और स्थानीय सरकारों पर वित्तीय प्रभाव कुछ अनिश्चितता के अधीन हैं।

बढ़ाए गए दंडों से राज्य और स्थानीय आपराधिक न्याय लागत में मामूली वृद्धि। इस उपाय के कारण मानव तस्करी के लिए आपराधिक दंड में वृद्धि के परिणामस्वरुप राज्य और स्थानीय आपराधिक न्याय की लागत में अतिरिक्त वृद्धि होगी। विशेष रूप से, उपाय में बढ़ायी गई जेल की सजा अपराधियों द्वारा राज्य की जेल में बिताए गए समय की लंबाई में वृद्धि करेगी। यह संभव है कि इस उपाय के प्रावधानों के कारण स्थानीय कानून प्रवर्तन के लिए धन और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को बढ़ाने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त मानव तस्करी गिरफ्तारी, अभियोजन, और अपराध घोषणा हो सकते हैं। यह राज्य और स्थानीय आपराधिक न्याय की लागत में भी वृद्धि कर सकता है। कुल मिलाकर, नई लागत **सालाना कुछ मिलियन डॉलर से अधिक होने की संभावना नहीं है।**

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

स्थानीय कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण की लागत में संभावित वृद्धि। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इस उपाय की आवश्यकता है कि राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को मानव तस्करी पर विशेष प्रशिक्षण प्राप्त हो। चूंकि CHP अधिकारियों को पहले से ही इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है, कोई अतिरिक्त राज्य लागत नहीं लगेगी। स्थानीय एजेंसियों पर इस आवश्यकता का वित्तीय प्रभाव किस हद तक होगा, यह स्थानीय अधिकारी वर्तमान में किस सीमा तक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ उपाय की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को किस प्रकार संतुष्ट करती हैं, इस पर निर्भर करेगा। काउंटियाँ और शहर सामूहिक रूप से मौजूदा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए और उन अधिकारियों को बैकअप कर्मचारी प्रदान करने के लिए, जो प्रशिक्षण में है, **कुछ मिलियन डॉलर तक की लागत उठा सकते हैं,** जिससे प्रत्येक वर्ष नवनियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की लागत कम होती जाएगी।

जारी

पीड़ितों की सेवाओं के लिए जुर्माने के राजस्व में वृद्धि। इस उपाय के द्वारा स्थापित नए आपराधिक जुर्मानों से कुछ अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, जिसके कुछ सालाना मिलियन डॉलर से अधिक होने की संभावना नहीं है। वास्तविक राजस्व मानव तस्करी में पाये गए दोषी व्यक्तियों की संख्या पर, अदालतों द्वारा लगाये गए जुर्माने के स्तर पर और सजायाफ्ता अपराधियों द्वारा वास्तविक तौर पर किए गए भुगतान की राशि पर निर्भर करेगा। यह राजस्व मुख्य रूप से मानव तस्करी के पीड़ित लोगों की सेवाओं के लिए समर्पित किया जाएगा, लेकिन यह मानव तस्करी की रोकथाम, गवाहों की सुरक्षा, और बचाव कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा।

प्रस्ताव 35 के पाठ के लिए, पृष्ठ 100 देखें।